प्रकरण संख्या : 10/2025
संजय वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 26.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	10/2025
दायर दिनांक	:	03.03.2025
निर्णय दिनांक	:	26.03.2025

1. संजय कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी सूर्य नगर तारों की कून्ट टोंक मार्ग सांगानेर जयपुर
2. दीपक पुत्र जगदीश प्रसाद आमेरिया, निवासी 64 दूसरा फ्लोर जादोन नगर बी दुर्गापुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7586, 7588, 7589, 7590, 7594, 7594/8897, 7595, 7597 कुल किता 8 कुल रकबा 1.34 है. ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काश्तकार काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के सीमाचिह्न स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी (सीमाचिह्न) लगवाना चाहते हैं। जिससे कि प्रार्थीगण की भूमि से लगती अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के कच्ची डोल लगा रखी है। तहसीलदार भाण्डारेज के आंदेश की पालना में दिनांक 31.05.2024 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 7586, 7588, 7589, 7590, 7594, 7594/8897, 7595, 7597 कुल किता 8 कुल रकबा 1.34 है. की पत्थरगढी पटवारियों की अनुभवी टीम व पुलिस इमदाद द्वारा करवाई जाने के आंदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी द्वारा बावजूद अवसर न्यायालय के समक्ष जवाब पेश [illegible] जाने के कारण अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत् 2071–2074 (वर्ष 2023 से स्थायी) अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 7586, 7588, 7589, 7590, 7594, 7594/8897, 7595, 7597 कुल किता 8 कुल रकबा 1.34 है. की खातेदारी वर्तमान राज

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 अनुसार प्रश्नगत आराजी का दिनांक 31.05.2024 को सीमाज्ञान होने की पुष्टि होती है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7586, 7588, 7589, 7590, 7594, 7594/8897, 7595, 7597 कुल किता 8 कुल रकबा 1.34 है० का अनुभवी पटवारियों/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। किन्तु दौराने पत्थरगढी इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि खसरा नम्बर 7588 रकबा 0.05 है० जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गै०मु० रास्ता के रूप में दर्ज है, उक्त गै०मु० रास्ते से यदि मौके पर आवागमन चालू है, तो पत्थरगढी की कार्यवाही से आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस बाबत् प्रश्नगत आराजी के खातेदार भी पाबन्द रहें कि पत्थरगढी के दौरान या पश्चात् खसरा नम्बर 7588 रकबा 0.05 है० किस्म गै०मु० रास्ता से आवागमन में बाधा उत्पन्न न की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested